

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

कमांक/चार-12-5/2023

जबलपुर, दिनांक.....²⁸/06/2023

निम्न तालिका के कॉलम नंबर 02 में दर्शित न्यायिक अधिकारी की पदोन्नति तालिका के कॉलम नंबर 4 में उल्लेखित दिनांक से होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के अंतर्गत उनका पुनरीक्षित वेतन निर्धारण तालिका के कॉलम नंबर 6 में दर्शाये अनुसार किया जाता है :-

क.	न्यायिक अधिकारी का नाम, पदनाम व यूनिट कोड नंबर	म.प्र. न्यायिक सेवा का वेतनमान, प्राप्त वेतन एवं दिनांक	उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति का दिनांक	उच्चतर न्यायिक सेवा के एण्ट्री वेतनमान 144840-194660 /-(जे-5) में वेतन का निर्धारण।		
				वेतनवृद्धि का दिनांक	निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	स्व0 श्री अंतर सिंह अलावा जिला न्यायाधीश 290008629	122700-180200/- 138100/- 04/06/2016	23/03/2017 (A.N.)	-	144840/-	24/03/2017
				23/03/2018	149190/-	01/03/2018
				23/03/2019	153670/-	01/03/2019
				23/03/2020	158280/-	01/03/2020
				23/03/2021	163030/-	01/03/2021
				(Expired on 04-05-2021)		
2	श्री धनराज दुबेला जिला न्यायाधीश 030015248	122700-180200/- 142240/- 24/03/2016	23/03/2017	-	144840/-	23/03/2017
				23/03/2018	149190/-	01/03/2018
				23/03/2019	153670/-	01/03/2019
				23/03/2020	158280/-	01/03/2020
				(Retired on 31-07-2020)		

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार


25-6-23

(अजय पवार)
रजिस्ट्रार(एम)

Deman




प्रतिलिपि:-

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ/छतरपुर/खण्डवा/भिण्ड/सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)(लेखा अनुभाग)/सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित)/सहायक(पेंशन), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3-
1. श्रीमती सीमा अलावा पत्नि स्वर्गीय श्री अंतर सिंह अलावा, तत्कालीन जिला न्यायाधीश, द्वारा श्री एम.एस. मण्डलोई, 3027, एफ-सेक्टर, सुदामा नगर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश।
2. श्री धनराज दुबेला, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, C/o चन्द्रभान भागीरथजी दुबेला, 123, दत्त मंदिर रोड, बालागंज, मंदसौर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नोट:-रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड कर मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।


27-6-23
रजिस्ट्रार(एम)